बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

नगर विकास एवं आवास विभाग एवं उसके सम्बद्ध संस्थानो के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं से संविदा पर नियोजन हेतु Empanelment के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते है :-

1. **Empanelment के उपरान्त यदि नियोजन किया जाता है तो वह निम्न शर्त्तों के अधीन होगी :-**

(i) सेवानिवृत्त कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता का उक्त पदों के विरूद्ध चयन संविदा के आधार पर प्रथमत: 02 (दो) वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु पूरी होने में जो पहले हो तक के लिए किया जाएगा। अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवष्यकतानुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा एक–एक वर्ष के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।

(ii) आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को आयु 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) आरक्षित कोटि के विरूद्ध आवेदन करने वाले को जाति प्रमाण –पत्र संग्लन करना अनिवार्य होगा।

(iv) सेवा निवृत्त अधिकारी को सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन एवं ग्रेड–पे तथा उस पर तत्समय देय महंगाई भत्ता का योगफल में से मूल पेंशन एवं उस पर सेवा निवृत्ति की तिथि को देय महंगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आयेगा, वही राशि मानदेय/संविदा वेतन के रूप में अनुमान्य होगा। परन्तु पेंशन पर महंगाई राहत मिलता रहेगा।

(v) सेवा निवृत्ति और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्त्तित रहेगा।

(vi) वैसे पदाधिकारी जिन पर कोई निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन/ दण्ड अध्यारोपित हो/आपराधिक मामला दर्ज हो, की सेवाएँ नहीं ली जायेगी। अनिवार्यतः पी०पी०ओ० की प्रति संग्लन करनी होगी।

(vii) संविदा के आधार नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगें।

(viii) अनुबंध समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित पदाधिकारी का पुनर्नियोजन नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वत: समाप्त माना जायेगा और इसके लिए आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

2. इच्छुक सेवानिवृत्त कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता अपना पूर्ण विवरण विहित प्रपत्र (संग्लन) में हाथों–हाथ या निबंधित डाक के माध्यम से दिनांक 6/8/2019 अप० 04 बजे तक प्राप्ति व प्रेषण शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग में जमा करेंगे। निर्धारित तिथी एवं समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नही किया जायेगा। संबंधित सूचना नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के सूचना पट पर भी देखा जा सकता है।

3. व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर Empanelment हेतु चयन किया जायेगा।

4. उक्त पद के लिए Empanelment की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पास सुरक्षित होगा एवं इसके विरूद्ध काई दावा मान्य नहीं होगा।

5. विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट www.urban.bih.nic.in का अवलोकन किया जा सकता है।

16/7/2019

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

नगर विकास एवं आवास विभाग एवं उसके संबंद्व संस्थानो के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को संविदा के आधार पर Empanelment हेतु आवेदन प्रपत्र :-

<u>विहित–प्रपत्र</u>

1.	विज्ञापन संख्या	:-		फोटो
2.	किस पद के लिए आवेदन किया	:-		
3.	आवेदक का नाम,,	:-		
4.	मोबाईल सं०	:-		
5.	Email ID	:-		
6.	अभ्यर्थी के पिता/माता/ पति या पत्नी का नाम	:-		
7.	जन्म तिथि	:-		
8.	उम्र 01.07.2019			
9.	लिंग (पुरूष/महिला)	:-		
10.	योग्यता	:-		
11.	वर्तमान पता	:-		
12.	स्थायी पता	:-		
13.	नियुक्ति की तिथि (समकक्ष पद पर)	:-		
14.	स्वानिवृत की तिथी	:-		
15.	विभाग कार्यालय का नाम जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त हुआ हैं।	:-		
16.	विभिन्न विभागों में कार्यानुभव की अवधि।	:-	(see table below)	

SN.	Name of the department	Post held	Period	Field of experience	Years of experience

17.	पद के आवेदन करने के संबंध मे कोई विषेष योग्यता/ अनुभव	:-	
18.	पी०पी०ओ० संख्या (पी०पी०ओ० का अभिप्रमाणित छाया प्रति संग्लन करें)	:-	
19.	अभयर्थी के विरूद्ध कोई अपराधिक वाद/निगरानी वाद/ विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं।	:-	

20.	अगर उपरोक्त का उत्तर हाँ है तो विवरण	:-	
21.	सेवाकाल के दंड	:-	
22.	पेषेवर सदस्यता	:-	
23.	अंतिम आहरित वेतन	:-	
24.	भाषा	:-	
25.	संग्लन दस्तावेजों की सूची	:-	1. 2. 3. 4.

	Read	Write	Speak
English			
Hindi			

मै घोषणा करता/करती हूँ ऊपर अंकित सभी सूचनाएं सही है। यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना दी जाती है तो मेरे विरूद्ध नियोजन प्राधिकार कानूनी कार्रवाई के लिए सक्षम है।

तिथिः–

स्थानः–

आवेदक का हस्ताक्षर

पी0पी0ओ0 संख्याः–